न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2022 अपील

भैरूलाल पुत्र हरदेव कहार निवासी – बदनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, अपील विरूद्व नायब तहसीलदार पण्डेर प्रकरण संख्या 427/2021 निर्णय दिनांक 31.01.2022

उपस्थित –
श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार पण्डेर प्रकरण सं0 427/2021 निर्णय दिनांक 31.01.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व सरहद बदनपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर के खसरा नम्बर 6087 रकबा 6.15 बीघा किस्म उसर छापर मे से 0.16 बीघा पर गैर सायल द्वारा गैहू की फसल काश्त कर सार्वजनिक प्रयोनार्थ आरक्षित भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा अतिक्रमण पश्चातवर्ती कर लिया है तथा दिनांक 07/12/2021 को राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, परन्तु पुनः अतिक्रण्म कर कब्जा कर लिया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर एकपक्षीय आदेश पारित करते अपीलांट् के विरूद्व निर्णय पारित फरमाते हुए अपीलांट् को अतिकमी मानते हुए 03 माह के सिविल कारावास व उक्त भूमि के कुल वार्षिक रूपये का 50 गुणा यानि 25/– रूपये के आर्थिक जुर्माने की शास्ती अधिरोपित करते हुए मौके से बेदखल करने के निर्णय से दण्डित फरमा दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 24/01/2022 को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किया गया व दिनांक 31/01/2022 की तारीख पेशी नियत की गयी व उसी दिनांक को बिना अपीलार्थी को किसी प्रकार अवसर नही दिया गया व बिना साक्ष्य व

अति. जिला कलक्टर भीलवाडा